

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 01, पेंशन बाड़ा रायपुर (छ.ग.)

फोन नं.07771-4051036 ई.मेल.eenhdn_1@rediffmail.com

चेक लिस्ट क्र. 35

प्रमाण पत्र

राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

संलग्न है।


(बी. श्रीनिवास राव)

कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.1 रायपुर (छ.ग.)


(एस. पी. पैकरा)

वन संरक्षक
प्रभारी वन मंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल, बालोद

कार्यालय कलेक्टर बालोद, जिला बालोद छ०ग०

क्रमांक / २३ / प्र.कले. / 2018

बालोद, दिनांक 25 / 01 / 2018

-:: प्रमाण पत्र ::-

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क. 01 रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरुर-झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग(छत्तीसगढ़ / महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के अंतर्गत जिला बालोद के ग्राम दानीटोला, तहसील डौण्डीलोहारा मे प्रभावित होने वाली भूमि ख.न. 307 रकबा 1.05 हे० राजस्व वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी है। तत्संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा) डौण्डीलोहारा द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, एवं संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन जो तहसीलदार डौण्डी, राजस्व निरीक्षक दल्लीराजहरा, वन परिक्षेत्र अधिकारी बालोद एवं सहायक अभियंता, लो.नि.वि. बालोद द्वारा की गयी है।

अतएव अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन से सहमत होते हुये आवेदित भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
बालोद (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 24 / प्र.कले. / 2018

बालोद, दिनांक 25 / 01 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंधक) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक छ.ग. अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
बालोद (छ.ग.)